



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं0 पटना 219) पटना, मंगलवार, 24 फरवरी 2026

सं० 3डी-01-मुक०-10/2025-1971
वित्त विभाग

संकल्प
24 फरवरी 2026

विषय— बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6649, दिनांक-28/07/2023 की कंडिका-3 (IX) (ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा की प्रभावी तिथि-01/01/2024 किये जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-6649, दिनांक-28/07/2023 की कंडिका-3(IX)(ग) के प्रावधान के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को महँगाई भत्ता 53 प्रतिशत हो जाने की तिथि-01/07/2024 से मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा, 25 लाख रुपये अनुमान्य है।

2- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-19/05/2023 को पारित आदेश में मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान के संबंध में निम्न आदेश है—

"The maximum limit for retirement gratuity/death gratuity shall be Rs. 20 lakhs which shall be increased by 25% whenever DA raises by 50%."

3- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2891, दिनांक-15/03/2024 द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 46 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है।

- 4- उक्त आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अनुमान्य अधिसीमा (25 लाख रुपये) की प्रभावी तिथि-01/01/2024 से किया जाना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
- 5- अतः सम्यक् विचारोपरांत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6649, दिनांक-28/07/2023 की कंडिका-3(IX)(ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा की प्रभावी तिथि-01/01/2024 करने की स्वीकृति दी जाती है।
- आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।
जय सिंह,
सचिव संसाधन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 219-571+10-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>